



संख्या ई/260/6/ग्रेड पे 2400 से अधिक/तक0छात्र0/2021-22/।। दिनांक 19.07.2022

सभी विभागाध्यक्ष (मुसुआ को छोड़ कर)

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल

चिकित्सा निदेश, लनामिरे चिकित्सालय,

उप मुई/गोरखपुर क्षेत्र,

उप मुविई/कालोनी,

प्रधानाचार्य/एसटीएस/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/सिगनल एवं दूर संचार

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/एनई रेलवे बालक/बालिका इन्टर कॉलेज/सीसे स्कूल

मंसिदूई/सूत/टेली

अधिकांसी अभियन्ता पुल कारखाना, गोरखपुर छावनी

वरिष्ठ प्रबन्धक/मु0 एवं लेखन सामग्री

महामंत्री एनई रेलवे मजदूर यूनियन

महामंत्री आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन

महामंत्री/पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन।

विषय:—शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु ग्रेड पे रूपये 2400/- से अधिक पाने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री आश्रित भाई-बहन की उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा हेतु केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।

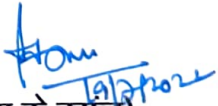
सत्र 2021-22 हेतु विषयगत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये कुछ छात्रवृत्तियां देने का निर्णय लिया गया है। कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चप्पा करते हुये अधीनस्थ कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था करें तथा पात्र कर्मचारियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुये इस कार्यालय को दिनांक **31.10.2022** तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्देश निम्नवत् है:-

1. विषयगत छात्रवृत्ति एमबीए, एमसीए, आईसीडब्लूए, सीए, सीएस सहित चिकित्सा एवं इन्जीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री कोर्स के अध्ययन हेतु देय है।
2. यह छात्रवृत्ति विषयगत कर्मचारियों के दो पाल्य तक देय है।
3. जो छात्र/छात्रा विषयगत शैक्षणिक सत्र में अपने कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत रहे हों, उन्हें संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से सामान्यतः अग्रसारित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते की सम्बन्धी छात्र कोर्स के पूर्ववर्ती वर्षों में कर्मचारी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुका हो। इस सम्बन्ध में जिस शैक्षिक सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त की गयी है वह शैक्षिक सत्र तथा स्वीकृत किये गये ज्ञापन पर छात्र का क्रमांक (जो अंकित रहा हो) आवेदन पत्र के प्रारूप पर अंकित किया जाना आवश्यक है, यदि उक्त परिधि में न आते हों तो आवेदन पत्र को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से अग्रसारित कराना होगा।

4. छात्रवृत्ति पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति अथवा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वशर्ते कि छात्र/छात्रा की शिक्षा एवं अन्य प्रकार के रिकार्ड संतोषजनक रहे। अध्ययनरत कोर्स की समाप्ति तक छात्रवृत्ति देय होगी किन्तु आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष में इस कार्यालय में जमा करना होगा।
5. यदि किसी कर्मचारी के पाल्य की विषयगत शिक्षा के लिये किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है, तो केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे।
6. जिन रेल कर्मचारियों के पाल्य की डोनेशन दे कर प्रवेश हुआ है, उनको केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
7. छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति के तत्वाधान में किया जायेगा। यह निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं होगी। कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित बातों का **विशेष ध्यान दें:-**
 - (क) जो छात्र/छात्रा अपने कोर्स के अन्तिम वर्ष के लिये आवेदन न करके उससे पूर्व के वर्षों हेतु आवेदन कर रहे हैं, उन्हें सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य है।
 - (ख) जिस संस्था में छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं, उसके पंजीकरण के सम्बन्ध में पूरा स्पष्ट विवरण (सम्बन्धित संस्था को पंजीकृत करने वाली निकाय का विवरण और कार्य क्षेत्र) आवेदन पत्र पर उपलब्ध करायें।
 - (ग) कोर्स का स्पष्ट विवरण एवं उसकी अवधि आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करें।
 - (घ) छात्रवृत्ति भुगतान के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र जुलाई से जून माना जायेगा।
 - (ङ) जिस योग्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-2022 में प्रवेश प्राप्त किया गया है उसकी छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
 - (च) शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु जो फिस जमा की गयी है, उसकी छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
 - (छ) शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण की सत्यापित मार्कशीट संलग्न करें।
 - (ज) आवेदन पत्र कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुये अग्रसारित किया जाना आवश्यक होगा कि छात्र/छात्रा पास नियमों के अन्तर्गत मान्य है।
 - (झ) यदि आवेदन पत्र में कोई विवरण गलत पाया गया तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 - (ञ) वांछित सभी अभिलेखों में से किसी एक की भी अनुपलब्धता या अपूर्ण भरे गये आवेदन पत्रों को स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं उनपर भविष्य में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप।


(ए.के.बसल)

सचिव/आर.आर.सी.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

तकनीकी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

अन्तिम तिथि 31.10.2022

ग्रेड पे रुपये 2400/- से अधिक पाने वाले सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/आश्रित भाई-बहन की तकनीकी शिक्षा हेतु कर्मचारी कल्याण निधि से सत्र 2021-22 के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र (प्रमुकाधि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि 31.10.2022 निर्धारित है। उसके बाद प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा)

1.0. कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

- 1- कर्मचारी का नाम
- 2- पदनाम
- 3- कार्यालय का नाम
- 4- पी0बी0वेतन एवं लेवल
- 5- वेतनमान (5200-20200) (9300-34800) कृपया सही का टिक करें।
- 6- पी0एफ0संख्या
- 7- क्या कर्मचारी अनु0जाति अथवा अनु0जन जाति के है, यदि हो तो विवरण
- 8- कार्यस्थल का फोन संख्या/मोबाइल संख्या
- 9- नियुक्ति तिथि
- 10- सेवा निवृत्ति तिथि

नोट: (क) आवेदन के साथ फीस रसीद एवं पूर्व परीक्षा के पास के मार्कसीट तथा सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण की सत्यापित मार्क-शीट की फोटो प्रति संलग्न करें।
(ख) कर्मचारी के पक्ष में पीआई-16 फार्म (दो प्रति में) जिसमें सम्बन्धित बैंक का नाम, पता, आईएफएससी कोड तथा पीएफ संख्या स्पष्ट अंकित करते हुये फार्म के साथ संलग्न करें।

2.0. छात्र/छात्रा सम्बन्धी जानकारी

- 2.01. छात्र/छात्रा का नाम
- 2.02. (अ) छात्र/छात्रा द्वारा लिये गये तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम
- (ब) आवेदन पत्र देते समय छात्र का वर्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ
- (स) यदि कोई के अन्तिम वर्ष हेतु आवेदन किया जा रहा है तो पूर्ववर्ती वर्षों में यदि केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है तो शैक्षिक सत्र एवं ज्ञापन में क्रमांक अंकित करें
- (द) शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण की मार्क सीट संलग्न करें।
- 2.03. कितने वर्ष का पाठ्यक्रम है
- 2.04. कोर्स की अवधि का वर्ष कब से कब तक
- 2.05. छात्र/छात्रा का आवेदनकर्ता से सम्बन्ध
- 2.06. कालेज में प्रवेश लेने की तिथि
- 2.07. क्या प्रवेश लेते समय डोनेशन दिया है यदि हे तो उसका विवरण
- 3.0. संस्था सम्बन्ध जानकारी
- 3.01. शिक्षा संस्थान का नाम
- 3.02. मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं
- 3.03. मान्यता देने वाली संस्था का नाम
- 3.04. यदि छात्र/छात्रा को उक्त संस्था/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार
- से कोई छात्रवृत्ति मिलती है, तो उसका पूर्ण विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र के कालम 3.01 से 3.04 के सामने दी गई जानकारी सही है।

शिक्षण संस्थान के अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

क्रमशः

2/-

4.0. अन्य विवरण:-

क्या कर्मचारी को इस छात्र/छात्रा के लिए कर्मचारी कल्याण निधि से और कोई छात्रवृत्ति मिलती है तो उसका विवरण:-

वर्ष.....

धनराशि

5.0. कर्मचारी द्वारा घोषणा:-

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस छात्र/छात्रा के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ उसे उक्त पाठ्यक्रम के लिये किसी अन्य श्रोत से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और ऊपर दिया गया सभी विवरण सही है। मैं यह भी बचन देता/देती हूँ कि इस समय जिस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है उसकी मंजूरी के बाद कर्मचारी कल्याण निधि से इस प्रकार के अन्य योजना से इसका लाभ नहीं लूंगा/लूंगी। यदि कोई छात्रवृत्ति या सहायता किसी भी श्रोत से मंजूर कि जायेगी तो मैं उसकी सूचना अध्यक्ष केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति को तत्काल दूंगा/दूंगी। यह भी घोषण करता/करती हूँ छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण होने के वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता नहीं लूंगा/लूंगी।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

- 6.0. कर्मचारी द्वारा भरा गया उपरोक्त सभी विवरण सही है तथा जिस छात्र/छात्रा के लिये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है। वह पास नियम के अन्तर्गत कर्मचारी पर आश्रित है।

**नियंत्रक अधिकारी के पूर्ण
हस्ताक्षर
मुहर**

दिनांक